

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 04/2019

आर.सी.एम.एस. : 2019/00007

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
मदनलाल पुत्र बाबुलाल जाति मेघवाल निवासी बासनी जोजावर हाल महादेव मोटर गैरेज, जोजावर तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली	राजस्थान तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन	राज्य जरिये भूमिधारी जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित
रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

:- निर्णय :-

दिनांक:- 13/02/2020

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के राजस्व प्रकरण संख्या 02/2019 सरकार बनाम मदनलाल में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2019 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस कथन किया कि पटवारी हल्का जोजावर ने अपीलान्ट को मौजा जोजावर के खसरा नम्बर 4667 रकबा 0.06 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन गौचर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए टी.पी. रिपोर्ट तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष पेश की, जिस पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने प्रकरण संख्या 02/2019 दर्ज कर नोटिस जारी किया, जिस पर वह पेशी दिनांक 22.01.2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। मातहत अदालत ने उसी दिवस अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से तथा अतिक्रमित आराजी से बेदखली के आदेश के साथ ही 100/- रुपये जुर्माना से भी दण्डित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व मातहत अदालत ने अपीलान्ट को सुनवाई का पुरा अवसर प्रदान नहीं किया, न ही जवाब पेश करने का अवसर दिया तथा न ही साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया, जबकि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कारावास जैसा कठोर निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई एवं साक्ष्य, सबूत पेश करने का पुरा अवसर दिये जाने के विधि में आज्ञापक प्रावधान है। जैर अपील आराजी पर अपीलान्ट ने कभी भी पूर्व में अतिक्रमण नहीं किया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए, तीन वर्ष के साधारण कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया, जो काबिल निरस्त है तथा उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश निरस्त फरमाया जावें। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1996 पेज संख्या 583, आर.आर.डी. 1996 पेज संख्या 585 एवं आर.आर.डी. 1996 पेज संख्या 480 पेश किए।


अति. जिला कलेक्टर, पाली

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर पुर्व में संवत् 2074 में भी अतिक्रमण किया था, उक्त आराजी पर पुनः अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर हल्का पटवारी जोजावर द्वारा इसकी टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की, जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए मातहत अदालत ने अपीलाण्ट की उपस्थिति में उसके विरुद्ध जो आदेश पारित किया है, वह विधि सम्मत है। अपीलाण्ट द्वारा वर्तमान में भी जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी ताईद तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन की मौका रिपोर्ट से होती है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट एक आदतन अतिचारी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन की मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी जोजावर ने अपीलाण्ट मदनलाल द्वारा मौजा जोजावर के खसरा नम्बर 4667 रकबा 0.06 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन गोचर की भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने से रोकने के बावजूद भी निर्माण कार्य करवाने की टी.पी. रिपोर्ट तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष पेश की, जिस पर उन्होंने प्रकरण संख्या 02/2019 दिनांक 16.01.2019 को दर्ज करते हुए अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया, उक्त नोटिस की पालना में अपीलाण्ट दिनांक 22.01.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ, जिसकी ताईद मातहत अदालत की पत्रावली से होती है। इससे अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह तथ्य मानने योग्य नहीं है कि अपीलाण्ट को सुनवाई का या जवाब पेश करने अवसर नहीं दिया गया। जैर अपील आराजी के संबंध में तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन से प्राप्त मौका रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2020/41 दिनांक 22.01.2020 के अनुसार अपीलाण्ट का जैर अपील आराजी पर आज भी अतिक्रमण निर्बाध रूप से जारी है तथा उस पर उसके द्वारा पंचायत चुनाव की घोषणा के पश्चात एक टीनशेड कमरे का निर्माण और करवाया गया है। इसकी ताईद में तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने अपने पत्र के संलग्न हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट एवं संवत् 2076 के पी-14 की प्रति पेश की है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने जैर अपील आराजी से अतिक्रमण हटाया नहीं है, बल्कि उसके द्वारा टीनशेड का कमरा और बनाया गया है तथा संवत् 2076 में भी अपीलाण्ट का अतिक्रमण जारी है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट एक आदतन अतिचारी है। जिससे जैर अपील आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के प्रकरण संख्या 2/2019 में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2019 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को निर्णय की प्रति साथ उनके न्यायालय की मूल पत्रावली भिजवाई जावे।



(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 13/02/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली